छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर

क्रमांक 2774 /आ.आ./तक.शाखा/मुख्या./15 रायपुर, दिनांक 20 /10/2015

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
छ.ग.गृह निर्माण मण्डल
संभाग क्र.-1/2/3/4, रायपुर/
राजधानी परि. संभाग क्र.-1/2, नया रायपुर/
दुर्ग/परि.संभाग दुर्ग/जगदलपुर/राजनांदगांव/
कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/अम्बिकापुर/कोण्डागांव।

विषयः- मंडल के विकसित/निर्माणाधीन कॉलोनियों के सड़को के उपयोग हेतु निजी भूमि स्वामी/बिल्डर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रायः यह पाया जा रहा हैं कि मंडल के संभाग में पदस्थ कार्यपालन अभियंताओं के द्वारा राज्य में मंडल के विभिन्न विकसित कॉलोनियों के सड़को के उपयोग हेतु निजी भूमि स्वामी/निजी बिल्डर्स को मंडल की ओर से सड़क उपयोग हेतु अनापत्ति पत्र जारी किया जाता हैं, जोकि कार्यपालन अभियंता के अधिकार क्षेत्र के बाहर का कार्य हैं तथा कदाचित उचित नहीं हैं। पूर्व में मंडल मुख्यालय के द्वारा समस्त कार्यपालन अभियंताओं को मंडल की सड़को के उपयोग हेतु निजी भूमि स्वामी/निजी बिल्डर्स को अनापत्ति नहीं देने के निर्देश हैं। उसके बावजूद कार्यपालन अभियंताओं के द्वारा मुख्यालय के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए निजी भूमि स्वामी/निजी बिल्डर्स को मंडल के सड़कों के उपयोग हेतु अनापत्ति पत्र जारी किया जा रहा हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में मंडल की किसी भी कॉलोनी के सड़क के उपयोग हेतु अनापत्ति पत्र जारी न करें। निर्देशों के अवहेलना की स्थिति में संबंधित कार्यपालन अभियंता को व्यक्तिगत जिम्मेदार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
रायपुर

पृ. क्रमांक 2775 /आ.आ/तक.शाखा/मुख्या./15 रायपुर, दिनांक 20 /10/2015

प्रतिलिपिः-

उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
रायपुर 20/10/15

jaya mem all division hindi letter-440